(93)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3166–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–2–2015 पारित द्वारा तहसीलदार ग्वालियर प्रकरण कमांक 4/15–16/अ–12.

अशोक कुमार कुशवाह पुत्र खच्चूसिंह कुशवाह
निवासी नई सड़क, लश्कर, ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

गोपी कुशवाह पुत्र रामलाल कुशवाह
निवासी श्रीराम कॉलौनी दो टावर वाली गली
गोल पहाडिया लश्कर, ग्वालियर .....अनावेदक

श्री सी.एम. गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/10/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 20–2–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ग्राम कोटा लश्कर स्थित भूमि सर्वे कमांक 1288, सर्वे कमांक 1294, सर्वे कमांक 1295, सर्वे कमांक 1296/1 एवं

सर्वे कमांक 1296/2 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 4/15–16/अ–12 दर्ज कर राजस्व निरीक्षक से सीमांकन कराया जाकर दिनांक 20–2–15 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है । यह भी कहा गया कि सीमांकन कार्यवाही एक तरफा बाला–बाला तरीके से की गई, जिसमें सीमांकन की पूरी प्रकिया नहीं अपनाई गई है और प्रतिवेदन एवं पंचनामा में फील्डबुक का कोई उल्लेख ही नहीं किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा सही तथ्यों पर आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था और राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक की अनुपस्थिति में सीमांकन किया जाकर एकपक्षीय रिपोर्ट तैयार की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अति संक्षिप्त प्रकृति का आदेश पारित किया गया है, जो कि बोलता हुआ आदेश नहीं है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की अनुपस्थिति में एकपक्षीय सीमांकन की कार्यवाही कर आवेदक की भूमि सीमांकन में निकालने से आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

तर्कों के समर्थन में 2014 आर.एन. 69 एवं 2004 आर.एन. 100 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक पूर्व से एकपक्षीय है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा सीमांकन कार्यवाही में आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है और न हीं यह स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर किसका कब्जा है । सर्वे कमांक 1288/2 पर आवेदक अशोक कुमार का कब्जा है तो फिर पूरे सर्वे कमांक 1288 के सम्पूर्ण रकबे का

सीमांकन किस प्रकार किया गया, यह भी स्पष्ट नहीं है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे सभी सम्बन्धित हितबद्ध पक्षकारों को सुचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर देकर संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के अनुरूप प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 20–2–2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर